भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं0 7**

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**अरनमुला में विमान पत्तन के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति**

**\*7 . श्री के.एन. बालगोपाल :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों ने केरल के पथनमथित्ता जिले में अरनमुला में विमान पत्तन का निर्माण किए जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अंतिम रूप से स्वीकृति दिए जाने से पहले जन सुनवाई सहित तत्संबंधी विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**''अरनमुला में विमान पत्तन के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति'' के संबंध में दिनांक 5.12.2013 को उत्तर के लिए श्री के.एन. बालगोपाल द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. \*7 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

(क) जी हां । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मल्लाप्पुझसेरी, अरनमुला और किडानगन्नूर गांवों, कोझेनचेरी ताल्लुक, पथनमथित्ता जिला, केरल में 500 एकड़ प्लॉट के क्षेत्र पर विमानपत्तन के विकास हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.11.2013 को प्रदान की गई थी ।

(ख) जी हां । विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा दिनांक 21-23 सितम्बर, 2010 को आयोजित उनकी बैठक में परियोजना के विचारार्थ विषय (टीओआर) प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और समिति ने टीओआर को जारी करने की संस्तुति की थी । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजना हेतु टीओआर दिनांक 13.10.2010 को प्रदान किए गए थे । दिनांक 10.05.2011 को पथनमथित्ता जिला कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया था । ईएसी द्वारा दिनांक 21-23 सितम्बर, 2011, 15-16 दिसम्बर, 2011 और 16-17 अगस्त, 2012 को आयोजित इसकी बैठकों में अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट और जन सुनवाई कार्यवाइयों सहित परियोजना पर विचार किया गया था । ईएसी ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किए गए संगत दस्तावेजों और इसकी टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अतिरिक्त स्पष्टीकरणों पर विधिवत रूप से विचार करके पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने के लिए परियोजना की सिफारिश की थी ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और भाग (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

\*\*\*\*\*\*